

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—मेजा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-36/2009 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति प्रेम कंवर पुत्री श्री रुघनाथ सिंह राजपूत पत्नि श्री रामसिंह राजपूत, निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----वादिया

बनाम

1-श्री भीमसिंह पिता रुघनाथ राजपूत, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के कायम मुकाम:-

1/1-श्रीमति शोबूकंवर पत्नि भीमसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्री भैरू पिता नंदसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-श्री उदयसिंह पिता नंदसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

4-श्री समुन्द्रसिंह पिता नंदसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

5-श्रीमति नवल कंवर पुत्री नंदसिंह राजपूत पत्नि रतनसिंह चूण्डावत, उम्र बालिग निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

6-श्रीमति जीवनकंवर पुत्री श्री नंदसिंह राजपूत पत्नि श्यामसिंह कानावत, उम्र बालिग सुई तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)


7-श्रीमति कैलाश कंवर पुत्री नंदसिंह राजपूत, पत्नि बाबूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी अरनिया तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

9-उप पंजीयक अधिकारी महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

वादिया की ओर से — एडवोकेट और प्रतिवादीगण की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 13.5.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत


(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल

रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

आपसी राजीनामा अनुसार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 42 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 43 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 45 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 46 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 56 रकबा 15 बिस्वा, 57 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादिया के 1/4 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। इसी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को नाम भी 1/4 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादिया के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(देवी सिंह)
पी.जे.सी. अधिकारी
आर.ओ.एस. एवं
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
पी.जे.सी. अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा
पदेन सहायक कलक्टर करेडा